न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 585/2022

30.09.2022 प्रस्तुत वाद के काराधीन अभियुक्त अमित कुमार उर्फ ऋषभ कुमार महतो की ओर से दिनांक 29.09.2022 को दाखिल जमानत आवेदन को आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के पूर्व प्रभारी चतुर्थ, अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया के न्यायालय में जमानत आवेदन सं0 287/2022 दाखिल किया गया था और जिसे दिनांक 28.05.2022 को वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 20.04.2022 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है, अभियोजन केस पूर्णतया असत्य और मनगढ़ंत है एवं जिसे संदेह के आधार पर और दूषित ग्रामीण राजनीति के तहत दर्ज कराया गया है। सूचक सहित कोई भी साक्षी प्रस्तुत कांड का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रस्तुत केस में दिनांक 14.09.2022 को आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त मृतक का प्रीति कुमारी का पति है और उसने कभी कोई दहेज की मांग सूचक से नहीं की थी और कांड दैनिकी में भी दहेज की मांग हेतु प्रताड़ित करने का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इस मामले में मृतका के दाह संस्कार किए जाने तक कोई केस दर्ज नहीं कराया गया है, बल्कि दाह संस्कार किए जाने के पश्चात् सोच–विचार कर यह झूठा केस दर्ज कराया गया है। सह–अभियुक्त रूबी देवी को प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, नवगछिया के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं0 255/2022 द्वारा पूर्व में ही जमानत दिया जा चुका है और आवेदक का मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने अथवा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित किए जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

सूचक, रंजन कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी जून, 2020 में अमित कुमार उर्फ ऋषभ कुमार महतो साकिन कठौतिया, सोनवर्षा के साथ हुई थी। सूचक की पुत्री से अमित कुमार उर्फ ऋषभ कुमार महतो, कृष्ण कुमार महतो, सूरज कुमार महतो, पुरुषोत्तम कुमार सभी के पिता मुन्नी लाल महतो एवं रूबी देवी पति मुन्नी लाल महतो सभी साकिन कठौतिया, सोनवर्षा, थाना बिहपुर, पुलिस जिला नगवछिया, जिला भागलपुर के द्वारा दहेज में पांच लाख रुपया व एक बुलेट मोटर साइकिल अपने पिता से मांगने को कहा जाता था। दहेज की राशि व उक्त बुलेट मोटर साइकिल नहीं देने बार–बार पर मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उक्त अभियुक्तों द्वारा यह भी कहा जाता था कि दहेज की उक्त राशि मांग कर नहीं लाओगी, तो किसी भी समय तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसी क्रम में दिनांक 20.04.2022 के मध्य रात्रि में सूचक की पुत्री प्रीति कुमारी की सबने मिलकर फांसी लगाकर हत्या कर दिया गया। सूचक को यह सूचना दिनांक 21.04.2022 सुबह भवानीपुर के चौकीदार द्वारा प्राप्त हुई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि प्राथमिकी में आवेदक अभियुक्त पर अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को दहेज की मांग हेतु प्रताड़ित किया जाता था और उक्त दहेज की मांग पूर्ण न होने पर सभी अभियुक्तों ने मिलकर दिनांक 20.04.2022 की मध्य रात्रि को प्रीति कुमारी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। कांड दैनिकी में यद्यपि कोई प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु लटकने के कारण होना दर्शाया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 14.09.2022 को आरोप गठित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 304(B) भा0 द0 वि0 का आरोप गंभीर, जघन्य एवं अजमानतीय प्रकृति का है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 585/2022

लगातार...
30.09.2022

प्रचालित जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा वाद अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को दहेज की मांग पूर्ण न होने पर फांसी लगाकर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका–3 में मृतका प्रीति कुमारी के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन वर्णित है, जिसमें मृत्यु का कारण गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटकर फांसी लगाने से मृत्यु होना दर्शाया गया है। कंडिका–8 में प्रस्तत कांड का घटना स्थल है, जो आवेदक अभियुक्त का घर है। कंडिका–9, 10, 26, 39, 40, 50 व 51 में साक्षियों का बयान अंकित है, जिसमें साक्षियों का कथन है कि आवेदक अभियुक्त और मृतका प्रीति कुमारी दोनों भागलपुर में रहकर पढ़ाई करते थे, वहीं उनके मध्य प्रेम संबंध कायम हुआ और उन दोनों ने घर से भागकर शादी कर लिया तथा कुछ दिन तक अपने घर से बाहर रहे और तत्पश्चात् आवेदक अभियुक्त अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को लेकर अपने गांव आ गया तथा दोनों साथ–साथ रहने लगे, चूंकि लड़की प्रीति कुमारी यादव जाति की थी और आवेदक अभियुक्त धानुक महतो जाति का है, इस कारण आवेदक अभियुक्त व लड़की के परिवार के लोग इस शादी संबंध से खुश नहीं थे एवं लड़की पक्ष के लोग लड़की से कोई संबंध नहीं रखते थे और आवेदक अभियुक्त की मां लड़की को बार–बार छोटी–छोटी बात पर ताना देती रहती थी। घटना से कुछ दिन पूर्व आवेदक अभियुक्त कमाने हेतु बाहर चला गया तथा घ ाटना से तीन–चार दिन पूर्व ही घर वापस आया था। घटना से एक दिन पूर्व आवेदक अभियुक्त व उसकी मां से मृतका का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस कारण मृतका प्रीति कुमारी काफी गुस्से में थी। पड़ोसियों ने उक्त झगड़ा छुड़ा दिया। अगले दिन सुबह में पता चला कि उक्त प्रताड़ना से तंग आकर मृतका प्रीति कुमारी ने अन्दर से कमरा बंद कर अपने साड़ी का फंदा लगाकर पंखा से लटक कर फांसी लगा ली। इस सूचना पर पड़ोसी लोग गए और उक्त कमरे के दरवाजे को लोहे के रॉड से तोड़कर किसी तरह खोला और पंखे से मृतका को नीचे उतारा और ईलाज हेतु ले जाना चाह रहे थे, किन्तु प्रीति कुमारी मर चुकी थी। इस प्रकार कांड दैनिकी में मृतका के पिता से दहेज मांगने अथवा दहेज की मांग हेतु मृतका को प्रताड़ित करने का तथ्य नहीं आया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 22.04.2022 से काराधीन है। सह–अभियुक्त रूबी देवी को प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, नवगछिया के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं0 255/2022 द्वारा पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त का मामला भी समान धरातल का है। प्रस्तुत मामले में आरोप गठित किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त अमित कुमार उर्फ ऋषभ कुमार महतो के द्वारा मो0 – 10,000/– रूपये के सम्तुल्य राशि के दो जमानतदारों के दायित्व के प्रतिभुओं का बंध पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा और निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय के समक्ष उचित पैरवी करेगा।

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।